प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –364/2023

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. टिकूराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र टिकुराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
3. मदन पुत्र पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
5. बृजलाल पुत्र टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
6. अनिल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
7. सुनिल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
8. गिरदावरी टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
9. सिलोचना पुत्री टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
10. देबादेवी पुत्री टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांक:** 29/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 69/65 की कुल 14.2900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी के दादा के नाम दर्ज थी। वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 ने अकेले ने अपने नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अनुचित तौर से दर्ज करवा ली है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 10 का उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 के साथ हक हिस्सा है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि वादी 3.795 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण स0 6 ता 7 संयुक्तत बहिब 3.795 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है [illegible] वादी स0 2 व 5 का 6.7 हैक्ट भूमि के संयुक्तत बहिब खातेदार काश्तकार है [illegible] अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीग[illegible] स0 8 ता 10 व प्र[illegible] स0 1 ने अपने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:04 IST
Reason: SelfAttested

समस्त हक व हिस्सा प्रतिवादीगण स0 2, 3, 5, 7 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 व प्रतिवादीगण स0 8 ता 10 का कोई हक हिस्सा वाद भूमि में शेष नही है। वादी उपरोक्त मुताबिक बाहमी राजीनामा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 11 के द्वारा जवाब पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 69/65 की कुल 14.2900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनतोष डिकी किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 69/65 की कुल 14.290[illegible] [illegible]मि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 [illegible] 3.795 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 3.[illegible] हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण स0 6 व 7 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:04 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्ततः बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 6.7 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 व 5 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:04 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –364 / 2023

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. टिकूराम पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. पतराम पुत्र टिकुराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
3. मदन पुत्र पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री पतराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
5. बृजलाल पुत्र टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
6. अनिल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
7. सुनिल पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
8. गिरदावरी टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
9. सिलोचना पुत्री टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
10. देबादेवी पुत्री टिकूराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 364 सन 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 69 / 65 की कुल 14.2900 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर 3.795 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 3.795 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण स0 6 व 7 को संयुक्ततः बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 6.7 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 व 5 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:33:04 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–किंकराली